परामर्श संख्या -12

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली_ 110001

फा. सं ए-110018/01/2021/सीएक्यूएम-वॉल्यूम -VI दिनांक: 14.O2.2024

सेवा में,
संलग्न सूची के अनुसार

विषय: निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं में धूल का शमन।

महोदय,

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियों से निकलने वाली धूल वायु प्रदूषण का एक प्रमुख और निरंतर स्रोत है और पी एम 10 और पी एम 2.5 के स्तर पर पूरे वर्ष, विशेष रूप से गर्मियों में प्रतिकूल योगदान देता और इस प्रकार खराब वायु गुणवत्ता में इसका प्रमुख योगदान है |

2. सी एंड डी परियोजनाओं (इमारतों) से धूल शमन: -

(i) सी एंड डी गतिविधियों से धूल के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, की धारा 6 और 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम" अधिसूचित किये | केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "निर्माण सामग्री और सी एंड डी अपशिष्टों को संभालने (हैंडलिंग) के लिए धूल शमन उपायों पर दिशानिर्देश 2017" जारी किये ।

(ii) धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन को और मजबूत करने और प्रभावी निगरानी के लिए उपाय चल रही सी एंड डी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दिनांक 11-06-2021 के निदेश के तहत राज्य सरकार / जी एन सी टी दिल्ली के सम्बंधित वेब पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लाट पर चल रही सी एंड डी परियोजनाओं के लिए निगरानी हेतु पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए वीडियो फेंसिंग
(ख) एजेंसियों द्वारा स्व-अंकेक्षण और प्रमाणन।
(ग) परियोजना स्थलों पर लगाये गए कम लागत वाली वायु गुणवत्ता के माध्यम से वायु गुणवत्ता की निगरानी ।

(iii) एंटी-स्मॉग गन की तैनाती:

धूल उत्सर्जन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, आयोग द्वारा दिनांक 02.11.2022 के निदेश क्रमांक 69 के तहत एंटी-स्मॉग गन (एएसजी) की तैनाती को अनिवार्य किया गया जो निर्माण के क्षेत्र के अनुपात में निम्नानुसार है:-

(क) 5,000 से लेकर 10,000 वर्गमीटर तक कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 1 एएसजी गन |

(ख) 10,001 और 15,000 वर्गमीटर के बीच कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 2 एएसजी गन |
(ग) 15,001 और 20,000 वर्गमीटर के बीच कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 3 एएसजी गन |
(घ) 20,000 वर्गमीटर से अधिक के कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 4 एएसजी।

(iv) निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण को नियंत्रण एवं कम करने के लिए निम्नवत गतिविधियों की श्रृंखला है:-

(क) परियोजना की सीमा के साथ पवन अवरोधों(विंड बैरियर्स)/ब्रेकरों को लगाना
(ख) निर्माण परियोजना स्थलों पर धूल स्क्रीन से ढकना
(ग) पानी के छिड़काव, पानी की धुंध और धूल-सप्रेसेंट का उपयोग
(घ) निर्माण सामग्री के साथ-साथ मलबे को भी ढकना
(ङ) सी एंड डी सामग्री का परिवहन केवल ढके हुए वाहनों के माध्यम से

3. सी एंड डी गतिविधियों के कारण धूल स्तर पर गंभीर चिंताओं पर विभिन्न हितधारकों द्वारा सभी स्तरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, भवन लेआउट योजनाओं/चित्रों और अनुमतियों/स्वीकृतियों के लिए विभिन्न नियामक निकायों द्वारा अनुमोदन जारी करते समय समावेशन को सख्ती से सुनिश्चित करने और कार्य के निष्पादन के दौरान धूल प्रदूषण को कम करने के लिए अन्य उपायों को उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार करने की आवशयकता है नियामक/निरीक्षण/प्रमाणीकरण से संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर ऐसे उपायों के अनुपालन की देख रेख की जानी चाहिए ।

4. सी एंड डी प्रोजेक्ट सहित संरचना विकास से सम्बंधित कई गतिविधियां विभिन्न एजेंसियों को आउटसोर्स आधार पर दे दी जाती है| ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सभी वैधानिक निर्देशों, नियमों और दिशा-निर्देशों को इस सन्दर्भ में न्यूनतम स्तर तक कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए | नगर निकाय/ यूएलबी और एनसीआर राज्य सरकारें / एनसीटी दिल्ली सरकार के सभी संबंधित विभाग/निकाय तदनुसार सुनिश्चित करेगें कि सभी निविदा सूचनाएं, अनुबंध इन क्षेत्रों में दस्तावेज़, समझौते आदि में पैरा 2 में दिए गए नियमों, दिशानिर्देशों और सुरक्षा उपायों से सम्बंधित प्रावधानों को शामिल करें जिससे कि ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समय धूल शमन को प्रभावी बनाया जा सके जो कि धूल उत्सर्जन के प्रति अत्यधिक असंवेदनशील होने के कारण वायु गुणवत्ता के लिए प्रतिकूल है। और उचित दंड प्रावधान के तहत गैर अनुपालन के लिए मुआवजा लगाया जा सकता है। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान नियमित रूप से निरीक्षण द्वारा देख रेख की जाए और उपरोक्त पैरा दो के अनुसार धूल नियंत्रण नियमों दिशा निर्देशों / निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें |

5. ऐसी एजेंसियों की सूची जिनके लिए यह सलाह अंकित है, संपूर्ण नहीं है और राज्य सरकारों/ जीएनसीटी दिल्ली द्वारा भी ऐसी परियोजना को मंजूरी देने वाली और निष्पादित करने वाली एजेंसियां को भी उचित सलाह दी जाएगी कि धूल के उच्च स्तर में सुधार करने और एन सी आर में वायु गुणवत्ता से सम्बंधित सरोकारों के लिए उपरोक्त उल्लिखित नियम/दिशानिर्देश/निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करें |

ह०
(अरविंद नौटियाल)
सदस्य- सचिव
ईमेल: arvind.nautival@qov.in

प्रतिलिपि:
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार.
मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार.
मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार.
अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीएक्यूएम

(अरविंद नौटियाल)
सदस्य- सचिव

एनसीआर में यूएलबी/नगर निकायों की सूची

दिल्ली

1. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), पालिका केंद्र, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001.
2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेंटर, चौथा तल, मिंटो रोड, दिल्ली-110002
3. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), बी ब्लॉक, प्रथम तल, विकास सदन, आईएनए, न्यू, दिल्ली-110023

उत्तर प्रदेश

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा, प्रशासनिक परिसर सेक्टर 6, नोएडा - 201301, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, प्लॉट नंबर 01, नॉलेज पार्क04, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश 201308
6. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, पुराना बस स्टैंड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001.
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीएसआईडीए कॉम्प्लेक्स, ए-1/4 लखनपुर कानपुर-208024.
8. आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, गाजियाबाद
9. उपाध्यक्ष, बागपत एवं खेकड़ा विकास प्राधिकरण, बागपत

हरियाणा

10. प्रशासक, एचएसवीपी, गुरूग्राम, प्रशासक हुडा, सेक्टर-14, गुरूग्राम
11. प्रशासक, एचएसवीपी, फ़रीदाबाद, हुडा कार्यालय, सेक्टर-12, फ़रीदाबाद
12. आयुक्त, नगर निगम गुरूग्राम, सी एल, इन्फो सिटी, सेक्टर 34, गुरुग्राम, हरियाणा -122001
13. आयुक्त, नगर निगम मानेसर
14. आयुक्त, नगर निगम फ़रीदाबाद, बी.के चौकी, न्यू औद्योगिक नगर, फ़रीदाबाद, हरियाणा – 121001.
15. सीईओ, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए), 3, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003
16. सीईओ, फ़रीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए), सेक्टर 69, फ़रीदाबाद, हरियाणा-121004
17. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, गुरूग्राम, हुडा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 14, गुरुग्राम -122001
18. वरिष्ठ नगर योजनाकार, नगर एवं ग्राम नियोजन, फ़रीदाबाद, एसटीपी, फ़रीदाबाद हुडा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-12, फ़रीदाबाद
19. प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी), प्लॉट नंबर: सी-एल3-एल4, सेक्टर 6, पंचकुला- 134109, हरियाणा
20. जिला नगर आयुक्त, झज्जर
21. कार्यकारी अभियंता, एचएसआईआईडीसी बहादुरगढ़, झज्जर
22. कार्यकारी अभियंता, एचएसवीपी बहादुरगढ़, झज्जर
23. जिला नगर योजनाकार, नगर एवं ग्राम नियोजन, झज्जर

24. आयुक्त, नगर निगम सोनीपत
25. जिला नगर योजनाकार, नगर एवं ग्राम नियोजन, सोनीपत
26. संपदा अधिकारी, एचएसवीपी सोनीपत
27. एजीएम, एचएसआईआईडीसी, बरही, सोनीपत
28. एजीएम, एचएसआईआईडीसी कुंडली सोनीपत।
29. एजीएम एचएसआईआईडीसी, राई, सोनीपत।
30. एजीएम, एचएसआईआईडीसी, खरखौदा सोनीपत'
31. वरिष्ठ प्रबंधक एचएसआईआईडीसी, रोहतक
32. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, रोहतक
33. आयुक्त, नगर निगम, रोहतक
34. प्रशासक, एचएसवीपी, रोहतक

राजस्थान

35. सीईओ, बीडा, एच-5, भगत सिंह कॉलोनी, यू'आई'टी', भिवाड़ी' राजस्थान-301019
36. आयुक्त, नगर परिषद भिवाड़ी 1/548, सेक्टर 1 रोड' सेक्टर1, यू.आई.टी., भिवाड़ी, राजस्थान 301019
37. रेजिडेंट इंजीनियर, हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी
38. सचिव, नगर सुधार न्यास (यूआईटी), अलवर
39. आयुक्त, नगर परिषद, अलवर, चर्च रोड 'अलवर' राजस्थान
40. रेजिडेंट इंजीनियर, हाउसिंग बोर्ड, अलवर